"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 जनवरी 2016—माघ 9, शक 1937

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 जनवरी 2016

क्रमांक ई-1-1/2016/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. कमल प्रीत सिंह, भा.प्र.से. (2002) संचालक, संस्थागत वित्त तथा विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपने वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2015

क्रमांक 12078/3437/21-ब/छ.ग./2015.—राज्य शासन, एतद्द्वारा शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, बालोद के पद पर नियुक्त श्री एम. आर. कुरैशी, अधिवक्ता, जिला बालोद (छ.ग.) को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 15-07-2015 से पुनः तीन वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 02 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिए उन्हें लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार होता, अतिरिक्त सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2016

क्रमांक/एफ 7-14/2015/गृह-दो/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री जितेन्द्र शुक्ला, (भापुसे), नगर पुलिस अधीक्षक, अम्बिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़ को दिनांक 07-12-2015 से 17-12-2015 (कुल 11 दिवस) तक अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 06, 17, 18, 19 दिसम्बर 2015 के शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जितेन्द्र शुक्ला आगामी आदेश तक नगर पुलिस अधीक्षक, अम्बिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री शुक्ला को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शुक्ला, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो, अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री जितेन्द्र शुक्ला की अवकाश अवधि में नगर पुलिस अधीक्षक, अम्बिकापुर, सरगुजा के पद का प्रभार रंजीत एक्का, रापुसे, एसडीओपी. अम्बिकापुर कैम्प सीतापुर को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2016

क्रमांक/एफ 7-02/2015/गृह-दो/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री दीपक कुमार झा, (भापुसे), सहायक पुलिस महानिरीक्षक, ए.टी.एस., पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़ को दिनांक 26-11-2015 से 17-12-2015 (कुल 22 दिवस) तक अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 25 नवम्बर एवं 18, 19, 20 दिसम्बर 2015 के शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री दीपक कुमार झा आगामी आदेश तक सहायक पुलिस महानिरीक्षक, ए.टी.एस., पुलिस मख्यालय, छत्तीसगढ़ के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री झा को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री झा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते, तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2016

क्रमांक/एफ 7-08/2014/गृह-दो/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री टी. जे. लांगकुमेर, (भापुसे), पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा रेंज, सरगुजा को दिनांक 07-12-2015 से 17-12-2015 (कुल 11 दिवस) तक का कार्योत्तर अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 18, 19 एवं 20 दिसम्बर 2015 के शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री टी. जे. लांगकुमेर आगामी आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा रेंज, सरगुजा के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री लांगकुमेर को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लांगकुमेर, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते, तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुंदानी, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 जनवरी 2016

क्रमांक एफ 7-06/2011/32.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से निम्नलिखित निवेश क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 लागू करता है :—

1. जिला बीजापुर — (1) बारसूर निवेश क्षेत्र.
   (2) भैरमगढ़ निवेश क्षेत्र.
   (3) भोपालपट्नम निवेश क्षेत्र.

2. जिला कबीरधाम — (1) पिपरिया निवेश क्षेत्र.

3. जिला कोरबा — (1) छुरी निवेश क्षेत्र.

4. जिला जांजगीर-चांपा— (1) शिवरीनारायण निवेश क्षेत्र.

नया रायपुर, दिनांक 7 जनवरी 2016

क्रमांक एफ 7-33/2015/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, संचालक, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (3) के प्रावधानों के तहत् प्रस्तुत महासमुंद विकास योजना 2031 का अनुमोदन करती है. महासमुंद विकास योजना, 2031 उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित की जा रही है.

2. महासमुंद विकास योजना 2031 की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी :—

1. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बलौदाबाजार (छ.ग.)
2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, महासमुंद (छ.ग.)
3. कलेक्टर, महासमुंद (छ.ग.)

3. छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधानों के तहत् छत्तीसगढ़ राजपत्र में उक्त सूचना के प्रकाशन के दिनांक से महासमुंद विकास योजना 2031 प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 जनवरी 2016

क्रमांक एफ 7-33/2015/32.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में महासमुंद विकास योजना 2031 इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 07-1-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 7th January 2016

No. F 7-33/2015/32.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 19 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973, the State Government hereby accord approval to the Mahasamund Development Plan 2031 submitted by Directorate under sub section (3) of section 18 of said Adhiniyam. The same is being published in "Chhattisgarh Rajpatra" for as required by sub-section (4) of section 19 of the said Adhiniyam.

2. The copy of the approved Mahasamund Development Plan 2031 shall be available during office hours for inspection in the following offices :—

1. Assistant Director, Town & Country Planning, Baloda Bazar (C.G.)
2. Nagar Panchayat Parishad, Mahasamund (C.G.)
3. Collector, Mahasamund (C.G.)

3. The Mahasamund Development Plan-2031 shall come into operation from the date of publication of the said notice in Chhattisgarh Rajpatra as per the provision of sub-section (5) of section 19 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Joint Secretary.

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 जनवरी 2016

क्रमांक एफ 7–8/2011/18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 292–क, 292–ख, 292–ग, 292–च, 292–झ सहपठित धारा 433 तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 339–क, 339–ख, 339–ग, 339–च, 339–झ सहपठित धारा 355 एवं 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम तथा नगरपालिका (कॉलोनाइज़र का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम, 2013, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

1. नियम 15 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्,—

''15—क. 31 दिसंबर, 2014 तक अस्तित्व में आई अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमितिकरण—

(1) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, शासकीय भूमि पर से भिन्न 31 दिसंबर 2014 तक अस्तित्व में आई अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए किया जायेगा :

(एक) ऐसी कॉलोनी अनाधिकृत कॉलोनी के प्रवर्ग में मानी जायेगी जो कॉलोनाइजर द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, शहरी भूमि अधिकतम सीमा, भूमि का व्यपवर्तन, नजूल तथा नगरपालिका से वैध अनुमति या अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किये बिना निर्मित कर ली गई हो।

(दो) विकास योजना, मुख्य मार्ग, उद्यान, खेल के मैदान, सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र, नदी, तालाब, नाले के क्षेत्र तथा हरित क्षेत्र या आमोद–प्रमोद के क्षेत्र पर स्थित अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण नहीं जायेगा।

(तीन) केवल ऐसी अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण किया जायेगा जहां पर कम से कम पच्चीस प्रतिशत भवनों का निर्माण किया गया हो तथा उसमें लोग निवास कर रहे हों। जहां केवल भू–खण्ड विद्यमान हैं, वहां पर नियमितीकरण की कार्यवाही इस नियम के नियम 15 के अनुसार की जायेगी।

(चार) एक बार सक्षम प्राधिकारी, किसी कॉलोनी के नियमितीकरण का कार्य हाथ में ले लेता है तो यह माना जायेगा कि उस कॉलोनी की भूमि का व्यपवर्तन हो चुका है और उसका उपयोग नगर के मास्टर प्लान के अनुसार है।

(पांच) सक्षम प्राधिकारी, अनाधिकृत कॉलोनियों की मूलभूत सुविधाओं सहित विकास कार्य के लिये प्राक्कलन (एस्टीमेट) तथा अभिन्यास (ले–आउट) तैयार करवायेगा, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी, संबंधित निवासियों तथा कॉलोनाइजर, यदि उपलब्ध हों, के साथ बैठक आयोजित करेगा और चर्चा करेगा तथा सुझाव, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् प्राक्कलन और अभिन्यास को अंतिम रूप देगा। अभिन्यास तैयार करने हेतु उपगत होने वाले व्यय की रकम, विकास शुल्क के दस प्रतिशत से अनधिक नियत किया जायेगा एवं उसे विकास प्रभारों में सम्मिलित किया जायेगा।

(छः) विकास कार्यो पर प्राक्कलित व्यय की रकम, संबंधित कॉलोनी के भवनों/भू–खण्डों के स्वामियों/अधिभोगियों से उनके अधिभोग में के भवन/भू–खण्ड के क्षेत्र के अनुपात में, विकास शुल्क के रूप में वसूल की जायेगी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा कॉलोनी

के संपूर्ण क्षेत्र के लिए तैयार किये गये अभिन्यास में, यदि विधि के अनुसार सार्वजनिक सुविधाओं के लिए खुला स्थान उपलब्ध न हो तो सक्षम प्राधिकारी, ऐसी अपेक्षित खुली भूमि के मूल्य का प्राक्कलन करेगा और कॉलोनाइजर से ऐसे प्राक्कलित मूल्य की दुगुनी रकम वसूल करेगा।

(सात) भवन/भू–खण्ड के अधिभोगियों/कॉलोनाइजर द्वारा, यथास्थिति, अपेक्षित खूली भूमि का विकास शुल्क या मूल्य जमा नहीं करने की दशा में, ऐसी रकम, भू–राजस्व के बकाया के रूप में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वसूल की जायेगी।

(आठ) भवनों/भू–खण्डों के अधिभोगियों से प्राप्त विकास शुल्क को सक्षम प्राधिकारी एक पृथक बैंक खाते में जमा करेगा। इसी प्रकार भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की गई रकम को भी इसी खाते में जमा किया जायेगा। ऐसे खाते से प्रत्याहरण, केवल संबंधित कॉलोनी के विकास कार्यो से संबंधित व्यय के लिए सक्षम प्राधिकारी और कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत उसके अधीनस्थ अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से ही किया जायेगा। विकास कार्यो की स्वीकृति नगरपालिका के संबंधित प्राधिकारियों द्वारा, उनमें यथानिहित शक्तियों के भीतर दी जायेगी।

(नौ) यदि भूखण्ड/भवन का धारक, विकास प्रभारों का भुगतान करने के लिए उधार लेने हेतु अपना भू–खण्ड/भवन बंधक रखना चाहता है तो वह ऐसा कर सकेगा।

(दस) यदि अनाधिकृत कॉलोनी के भवन धारक तथा भू–खण्डधारक, किसी सोसाइटी का गठन करके विकास कार्यों का निष्पादन करना चाहते हैं तो सक्षम प्राधिकारी उसके लिए अनुज्ञा दे सकेगा :

परंतु यह कि विकास शुल्क की रकम, सक्षम प्राधिकारी तथा सोसाइटी के संयुक्त खाते में जमा की जायेगी और विकास कार्यों का निष्पादन, इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सक्षम प्राधिकारी के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

(ग्यारह) सक्षम प्राधिकारी, विकास शुल्क का किस्तों में भुगतान अनुज्ञात कर सकेगा।

(बारह) अनाधिकृत कॉलोनी के नियमितीकरण की दशा में, नियम 2 के उप–नियम (1) के खण्ड (घ) तथा नियम 11 के खण्ड (पांच) के उपबंध बाह्य विकास कार्य के संबंध में लागू होंगे।

(तेरह) ऐसी अनाधिकृत कॉलोनी, जिनमें भवन निर्मित किये गये हैं वहां संबंधित नगरीय निकाय, भवन स्वामियों से समझौता करने के पश्चात भवन के ऐसे अनाधिकृत सन्निर्माण को नियमित कर सकेगा। भवन स्वामी से भवन अनुमति शुल्क तथा समझौता प्रभार विधि के अनुसार वसूल किया जायेगा।

(चौदह) जहां कॉलोनाईजर ने विभिन्न अभिन्यास बनाने के पश्चात् भू–खण्डों का एक से अधिक बार विक्रय किया है और यदि स्वामित्व का विवाद होता है तो ऐसे विवाद का निपटारा विधि के अनुसार सिविल न्यायालय में ही हो सकेगा। रजिस्ट्रीकृत विक्रय–विलेख तथा संराशीकरण को ही स्वामित्व का आधार माना जायेगा।

(पंद्रह) सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राक्कलन तथा अभिन्यास को अंतिम रूप देने के पश्चात समस्त भू–खण्ड धारकों द्वारा विकास शुल्क जमा कर देने पर, उस तारीख से, जिस पर अंतिम भू–खण्ड धारक ने विकास शुल्क जमा किया है, तीन वर्ष की कालावधि के भीतर विकास कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। यदि विकास कार्य उक्त कालावधि के भीतर पूर्ण नहीं होता है तो संबंधित निकाय, विकास कार्य में उपगत होने वाला अतिरिक्त व्यय वहन करेगा। सक्षम प्राधिकारी को यह विनिश्चित करने का अधिकार होगा कि किस तारीख से विकास कार्य प्रारंभ किया जाये :

परंतु विकास कार्य ऐसे क्रम में निष्पादित किया जायेगा जिससे बुनियादी सेवाओं से संबंधित विकास कार्य सबसे पहले निष्पादित किया जाये।

(सोलह) जब सक्षम प्राधिकारी ने विकास शुल्क अवधारित कर दिया हो तो वह स्थानीय समाचार–पत्रों में यह बताते हुए सूचना प्रकाशित करेगा कि निश्चित तारीख के पूर्व, कॉलोनी के भवन/भू–खण्ड धारक द्वारा विकास शुल्क जमा कर दिए जाना चाहिए, अन्यथा कालावधि का अवसान होने के पश्चात, सक्षम प्राधिकारी ऐसे भवन/भू–खण्ड का प्रबंध ग्रहण कर लेगा और नियम 15 में यथा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कॉलोनी के विकास कार्यों के निष्पादन के लिए कार्यवाही करेगा।

(सत्रह) जब अनाधिकृत कॉलोनी में किसी भवन या भू–खण्ड का नियमितीकरण हो गया हो तो ऐसा भवन/भू–खण्ड, दांडिक कार्यवाही से स्वयंमेव ही मुक्त हो गया समझा जायेगा।

(2) यदि कोई अनाधिकृत कॉलोनी 31 दिसंबर, 2014 के पश्चात् निर्मित की जाती है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे अनाधिकृत सन्निर्माण मानकर उसे हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

15–ख. अवैध कालोनियों में विद्युत तथा जल प्रदाय की व्यवस्था करना.–

(1) ऐसा कोई व्यक्ति, जो अवैध व्यपवर्तन के या अवैध कॉलोनी के क्षेत्र में अपने भवन में विद्युत/जल प्रदाय संयोजन लेना चाहता है तो वह, यथास्थिति, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 292–घ या छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 339–घ के परंतुक के अधीन प्रमाण–पत्र के लिए प्ररूप–बारह में शपथ–पत्र के साथ प्ररूप–ग्यारह में सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी ऐसी जांच, जैसा कि वह स्वयं के समाधान के लिए आवश्यक समझे, करने के पश्चात् अवैध व्यपवर्तन या अवैध कॉलोनी में सन्निर्माण क्षेत्र में विद्युत/जल प्रदाय संयोजन उपलब्ध कराने में लोकहित में कोई आपत्ति नहीं है।

(3) यदि सक्षम प्राधिकारी का उपनियम (2) के अधीन ऐसी जांच यदि कोई हो, करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि विद्युत संयोजन/जल प्रदाय संयोजन उपलब्ध कराने में लोकहित में कोई आपत्ति नहीं है तो वह लिखित में कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात्, कतिपय शर्तों या निबंधनों के अध्यधीन रहते हुए, प्ररूप–तेरह में विहित प्रमाण–पत्र के रूप में उसे मंजूर कर सकेगा।

(4) सक्षम प्राधिकारी, स्वप्रेरणा से या किसी अन्य स्त्रोत से जानकारी प्राप्त होने पर और लिखित में कारणों को अभिलिखित किए जाने के पश्चात्, प्रमाण–पत्र के किन्हीं भी निबंधनों, शर्तों या निर्बंधनों का उल्लंघन होने पर रद्द कर सकेगा :

परंतु कोई भी प्रमाण–पत्र तब तक रद्द नहीं किया जायेगा जब तक कि धारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाये।

(5) सक्षम प्राधिकारी प्ररूप–चौदह में एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें इन नियमों के अधीन जारी किए गए प्रमाण–पत्र के ब्यौरों तथा निबंधनों, शर्तों और निर्बंधन, जिनके अधीन प्रमाण–पत्र जारी किया गया था, आवेदक का पूरा पता, दर्ज की जायेंगी। उसके पते में परिवर्तन होने की दशा में प्रमाण–पत्र का धारक सक्षम प्राधिकारी को उसकी सूचना देगा।''

2. प्ररूप–दस के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :–

''प्ररूप–ग्यारह
[नियम 15–ख के उप–नियम (1) देखिए]

छत्तीसगढ़ नगरपालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम, 2013 के नियम 15–ख के अधीन प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने लिए आवेदन का प्ररूप

प्रति,

सक्षम प्राधिकारी

मैं/हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि कृपया, छत्तीसगढ़ नगरपालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम, 2013 के अधीन मेरे/हमारे भवन में, जिसकी विशिष्टयां नीचे दी गई हैं, विद्युत/जल प्रदाय संयोजन अभिप्राप्त करना सुकर बनाने के लिए मुझे/हमें प्रमाणपत्र मंजूर किया जाये :–

(एक) आवेदक का नाम

(दो) वर्तमान पता

(तीन) स्थायी पता

(चार) क्या आवेदक व्यक्ति/प्राइवेट कंपनी/सार्वजनिक फर्म या संस्था है

(पांच) यदि आवेदक :–

(क) व्यक्ति है तो अपनी राष्ट्रीयता कथित करें

(ख) प्राइवेट कंपनी है तो उसके रजिस्ट्रीकरण क्रमांक के साथ–साथ सभी सदस्यों की राष्ट्रीयता कथित करें

(ग) कोई सार्वजनिक कंपनी है तो निदेशकों की राष्ट्रीयता, प्रवर्तन का स्थान और भारतीय नागरिकों द्वारा धारित अंश की प्रतिशतता कथित करें

(घ) फर्म या संस्था है, तो सभी भागीदारों की राष्ट्रीयता कथित करें

(ङ) फर्म सोसाइटी है तो उसकी पूर्ण विशिष्टियां कथित करें

(छः) आवेदक का व्यवसाय या उसके कारोबार की प्रकृति

(सात) उस भवन के जिसमें विद्युत/जल प्रदाय संयोजन अपेक्षित है, ब्यौरे तथा पता

(आठ) संयुक्त हित का स्वरूप, यदि कोई हो।

मैं/हम .... पुत्र श्री .... एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि ऊपर दी गई विशिष्टयां सही है और मैं/हम आपके द्वारा वांछित अन्य ब्यौरे देने को तैयार हूं/है।

स्थान ....
तारीख ....

भवदीय
आवेदक के हस्ताक्षर ....
नाम ....
पता ....
....
....

प्ररूप—बारह
[नियम 15—ख के उप—नियम (1) देखिए]

प्रमाण—पत्र अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ—पत्र

मैं .... पुत्र श्री .... आयु .... वर्ष .... निवासी .... एतद्द्वारा, शपथ पर निम्नानुसार प्रतिज्ञान करता हूं :—

1. यह कि मैंने .... सोसाइटी के .... नगर में स्थित भूखण्ड क्रमांक .... पर भवन का सन्निर्माण किया है।

2. यह कि उक्त भू—खण्ड पर उक्त भवन का (वर्ष) .... के पूर्व सन्निर्माण पूरा हो गया था तथा मैं उक्त भवन का स्वामी हूं।

3. यह कि जिस भू—खण्ड पर मैंने भवन का सन्निर्माण किया है वह छत्तीसगढ़ भू—राजस्व संहिता की धारा 172 के अधीन गैर कृषि प्रयोजनों के लिए व्यपवर्तित किया गया है।

4. मैं यह जानता हूं कि वह कॉलोनी जिसमें मैंने उक्त भवन का सन्निर्माण किया है, सरकार द्वारा घोषित अवैध कालोनियों की सूची में है यदि मैं उस संबंध में कोई गलत जानकारी प्रस्तुत करता हूं तो मैं उसके लिए छत्तीसगढ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 292—घ तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 339—घ के अधीन उत्तरदायी रहूंगा।

5. यह कि मैं सरकार द्वारा भविष्य में इस संबंध में पारित किन्हीं भी आदेशों के अनुपालन और अनुसरण का उत्तरदायित्व लेता हूं और ऐसे आदेशों की दशा में यदि मेरा विद्युत संयोजन विमुक्त कर दिया जाए तो मैं उसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल को उत्तरदायी ठहराए बिना विद्युत संयोजन सस्थापित कराने के लिए तैयार रहूंगा।

6. यह कि उक्त भवन किसी सरकारी, अर्द्ध–सरकारी या नगर निगम या नगरपालिका या नगर पंचायत की भूमि पर सन्निर्माण नहीं किया गया है।

7. संपत्ति की विशिष्टयां निम्नानुसार हैं,–

(एक) आवेदक/स्वामी का नाम, उसके पूरे पते सहित

(दो) अवैध व्यपवर्तन/अवैध कॉलोनी के ब्यौरे

(तीन) स्वामी का नाम पता सहित

(चार) भूमि के ब्यौरे

(क) ग्राम

(ख) खसरा कमांक

(ग) क्षेत्र

(पांच) कॉलोनी का नाम

(छः) भू–खण्ड का क्षेत्र

(सात) नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत के समझौते की विशिष्टयां

(आठ) टिप्पणियां

अभिसाक्षी

सत्यापन

मैं .... पुत्र श्री .... निवासी .... एतद्द्वारा सत्यापित करता हूं कि पैरा (एक) से (आठ) तक की विषयवस्तु मेरे व्यक्तिगत ज्ञान के अनुसार सत्य है ।

अभिसाक्षी

प्ररूप—तेरह

[नियम 15—ख के उप—नियम (3) देखिए]

प्रमाण—पत्र

छत्तीसगढ़ नगर पालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्ते) नियम, 2013 के नियम 15—ख के अधीन प्रमाण—पत्र

मैं .... सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा, प्रमाणित करता हूं कि नीचे दिये गये निबंधनों, शर्तों तथा निर्बंधनों पर भवन में, जिसके ब्यौरे नीचे दिए है, विद्युत/जल प्रदाय संयोजन प्रदान करने में लोकहित में कोई आपत्ति नहीं है :—

1. ग्राम
2. खसरा
3. क्षेत्र
4. भू—खण्ड/भवन क्रमांक
5. कॉलोनी का नाम
6. भवन के स्वामी का नाम

निबंधन, शर्ते तथा निर्बंधन

....

सक्षम प्राधिकारी

स्थान .... निगमित निकाय का नाम

तारीख .... मुद्रा

प्ररूप—चौदह

[नियम 15—ख के उप—नियम (5) देखिए]

रजिस्ट्रर का प्ररूप

स.क्र.	नियम 15—ख (1) के अधीन आवेदन की तारीख	उस व्यक्ति/फर्म, स्वामी/संस्था का पूरा नाम तथा पता जिसने आवेदन दिया है	प्रमाण—पत्र की तारीख तथा क्रमांक	निबंधन, निर्बंधन तथा शर्तें जिनके अधीन प्रमाण—पत्र जारी किया गया है	रद्दकरण की तारीख तथा उसके लिए संक्षिप्त कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)''

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 जनवरी 2016

क्रमांक एफ 7–8/2011/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7–8/2011/18 दिनांक 05–01–2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 5th January 2016

No. F 7-8/2011/18.—In exercise of the powers conferred by Section 292-A, 292-B, 292-C, 292-F and 292-I read with Section 433 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956) and Sec. 339-A, 339-B, 339-C, 339-F and 339-I read with Section 355 and 356 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No.37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Municipal Corporation and Municipalities (Registration of Colonizer, Terms and Conditions) Rules, 2013, namely:—

AMENDMENT

In the said rules,-

1. After rule 15, the following shall be added, namely,–

"15-A. Regularization of Unauthorized colonies that came into existence up to 31st December, 2014.-

(1) Notwithstanding anything contained in these rules, the unauthorized colonies that came into existence up to 31st December, 2014 on other than government land shall be regularized subject to the following conditions:

(i) Such colony shall be deemed to be in the category of unauthorized colony which has been constructed by the colonizer without obtaining the legal permission or no-objection certificate from the department of Town and Country Planning, Urban land ceiling, Land Diversion, Nazul and Municipality

(ii) Unauthorized colonies situated on Development Plan, main roads, parks, playgrounds, areas of cultural heritage, river, tank, area of drains, green belt or area of recreation shall not be regularized.

(iii) Only such unauthorized colonies shall be regularized where at least twenty-five percent houses have been constructed and people are residing therein. Where only the plots are in existence, action for regularization shall be taken in accordance with rule 15 of this rule.

(iv) Once the competent authority takes up the work of regularization of any colony in his hand it shall be deemed that the diversion of land of that colony has been done and its use is in accordance with the Master Plan of the City.

(v) The Competent Authority shall cause to be prepared the estimate and layout for the development work, including the basic amenities of the unauthorized colonies for which the competent authority shall organize a meeting and discuss with the inhabitants concerned and the colonizer, if available, and after considering their suggestions, if any, finalize the estimate and layout. The amount of expenditure to be incurred for preparing the layout shall be fixed not exceeding ten per cent of the development charges and the same shall be included in the development charges.

(vi) The amount of estimated expenditure on development works shall be recovered as development charges from the owner/occupants of the house/plot of the colony concerned in proportion of the area of house/plot which is in their occupation. In the layout prepared by the competent authority for the total area of the colony, if open land for public amenities as per law is not available then the competent authority shall estimate the cost of such requisite open land and recover double amount of such estimated cost from the Colonizer.

(vii) In case the development fees or the cost of requisite open land, as the case may be, is not deposited by the occupants/colonizer of the house/plot, such amount shall be recovered in accordance with the provisions of the Act as arrears of land revenue.

(viii) The competent authority shall deposit the amount of development fees received from the occupiers of houses/plots in a separate bank account. Similarly the amount which is recovered as arrears of land revenue shall also be deposited in the same account. The drawal from such account shall be made only for the expenditure relating to the development works of the concerned colony with the joint signature of the competent authority and the Collector or his subordinate officer authorized by the Collector in this behalf. The sanction of the Development Works shall be given by the concerned authorities of the municipality within their powers as vested in them.

(ix) If the plot/house holder wants to mortgage his plot/house for taking loan to pay the development charges, he may do so.

(x) If the house holder and the plot holders of the unauthorized colony wants to execute the development works by forming any society, the competent authority may permit for the same :

Provided that the amount of development fees shall be deposited in the joint account of competent authority and the society, and the development works shall be executed subject to the provisions of these rules in the supervision of the competent authority.

(xi) The competent authority may allow payment of the development fees in installments.

(xii) In case of regularization of the unauthorized colony, the provisions of clause (d) of sub-rule 1 of rule 2 and clause (v) of rule 11 shall apply in respect of the External Development Work.

(xiii) In such unauthorized colony in which the houses have been constructed, the concerned urban body shall, after compromise with the house owners, regularize such unauthorized construction of the house. The building permission fee and the compounding charges shall be recovered from such house owner according to law.

(xiv) Where the colonizer after making different layout sold the plots more than one time and if there is a dispute of ownership then the settlement of such dispute can only be made in a civil court according to law. Registered sale deed and commutation shall only be treated as the basis of ownership.

(xv) After finalization of the estimate and layout by the competent authority, when all the plot holders deposit the development fees, the development work shall be completed within a period of three years from the date on which the last plot holder deposits the development fees. If the development work is not completed within the said period, then the concerned body shall bear the extra expenditure to be incurred for the development work. The competent authority shall have the right to take decision as to from which date the development work be started:

Provided that the development work shall be executed in such order so that the development work relating to basic services is executed first.

(xvi) When the competent authority has determined the development fees he shall publish the notice in the local news papers informing a certain date before which the house/plot holders of the colony should deposit the development fees, otherwise after expiry of the period, the competent authority shall take over the management of such house/ plot and take action for execution of the development works of the colony in accordance with the procedure as laid down in rule 15.

(xvii) In the unauthorized colony when any house or plot has been regularized then such house/plot shall be deemed to have been exempted ipso facto from penal proceeding.

(2) If any unauthorized colony is constructed after 31st December 2014, action to remove the same shall be taken by the competent authority by treating it as the unauthorized construction.

15-B. To provide electricity and water supply in the illegal colonies.—

(1) Any person who wished to take electricity/water supply connection in his house which is in the area of illegal diversion or in the illegal colony then he shall apply to the competent authority in Form-Eleven along with an affidavit in Form-Twelve for a certificate under Section 292-D of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 or under the proviso to section 339-D of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 as the case may be.

(2) After submission of application under sub-rule (1), the competent authority may after such enquire as he may deem fit to satisfy himself that in public interest there is no objection to make available electric/water supply connection in the construction area in the illegal diversion or in the illegal colony.

(3) If the competent authority, after holding an enquiry, if any, under sub-rule (2), is satisfied that in public interest, there is no objection to make available electric connection/water supply connection then he may after recording the reasons in writing sanction the same, subject to certain terms and conditions in the form Certificate prescribed in Form-Thirteen.

(4) The competent authority may on his own motion or on receipt of information from any other source and after recording the reasons in writings may cancel the certificate for violation of any terms, conditions or restriction in the certificate:

Provided that no certificate shall be cancelled unless the holder is not given a reasonable opportunity of being heard.

(5) The Competent authority shall keep a register in Form-Fourteen in which the details of certificate issued under these rules and the terms, conditions and retractions under which the certificate has been issued, full address of the applicant shall be entered. In the case of any change in his address, the holder of the certificate shall intimate the same to the competent authority."

2. After FORM-TEN, the following shall be added, namely:—

"FORM-Eleven

[See sub-rule (1) of rule 15-B]

Form of application for obtaining certificate under rule 15-B of Chhattisgarh Nagarpalika (Registration of Colonizer, Terms and Conditions) Rules, 2013

To,

The Competent Authority

I/We request you that a certificate may kindly be granted under the Chhattisgarh Nagarpalika (Registration of Colonizer, Terms and Conditions) Rules, 2013 to facilitate me/us to obtain electricity/ water supply connection in my/our house, the particular of which are given below :-

(i) Name of the applicant

(ii) present Address

(iii) Permanent Address

(iv) Whether the applicant is individual/private company/public firm or institution

(v) If the applicant is –

(a) an individual, then State his nationality

(b) a private company, then state its registration number along with the nationality of all its members.

(c) a public company, then state the nationality of the Director, Place of operation and percentage of share held by Indian Nationals.

(d) a firm or institution, then state the nationality of all partners.

(e) a firm society, then state the full particulars.

(vi) Profession of the applicant or the nature of his business.

(vii) The details of the house and address for which electric/water supply connection is required.

(viii) Nature of joint interest, if any

I................... S/o .... do hereby declare that the particulars given above are due and I/we/am/are ready to furnish other details desired by you.

Place:

Date:

Yours faithfully

....

Signature of the applicant

Name: ……………...............……..

Address: ....……………………

…………………………………

..........……..…………………..

FORM-Twelve

[See sub-rule (1) of rule 15-B]

The Affidavit to be filled before the Competent Authority along with application for obtaining certificate

I.......................... s/o............................ aged............. years, resident of do hereby affirm on oath as follows :-

(1) That I have constructed a house on Plot No. .... of the .... Society situate in.............

(2) That the construction of the said house on the suit plot was completed before (year) and I am the owner of the said house.

(3) That the plot in which I have constructed the house has been diverted for non-agriculture purpose under Section 172 of Chhattisgarh land Revenue Code.

(4) That I know that the colony in which I have constructed the said house is in the list of illegal colonies declared by the Government and is case I submit any wrong information. I shall be responsible for same under section 292-D of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 and section 339-D of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961.

(5) That I take the responsibility of compliance and follow up of the orders passed by the Government in future in this respect and disconnected then without holding the CSEB responsible, I shall be ready to get the eclectic connection installed.

(6) That the said house has not been constructed on the land of any Government/semi Government or Municipal Corporation or Municipality or Nagar panchayat.

(7) The Particulars of the property area as follows.-

(i) Name of the applicant/owner with his full address.

(ii) Details of illegal diversion/illegal colony.

(iii) Name of the owner with address.

(iv) Details of Land
(a) Village.

(b) Khasra No.

(c) Area.

(v) Name of the colony

(vi) Area of the plot.

(vii) Particulars of settlement of the Municipal Corporation/Municipality/Nagar Panchayat.

(viii) Remarks.

Deponent

VERIFICATION

I................... S/o .... resident of .... do hereby verity that the contents of paras (i) to (viii) are true to my personal Knowledge.

Deponent

FORM-Thirteen
[See sub-rule (3) of rule 15-B]

Certificate

Certificate under rule 15-B of the Chhattisgarh Municipal Corporation and Municipalities (Registration of Colonizer, Terms and Condition) Rules, 2013

I......................... Competent Authority do hereby certify that there is no objection in public interest to give electricity/water supply connection in the house, detailed below on the terms. conditions and restrictions given below:-

Details of the property

1. Village
2. Khasra No.
3. Area
4.
5. Name of the colony
6. Name of the owner of the house.

Terms, Conditions and Restrictions

Place: **Competent Authority**

Date: Name of the body Corporation
Seal

FORM-Fourteen
[See sub-rule (5) of rule 15-B]

Form of Register

S. No.	Date of application under rule 15-B (1)	Full Name and address of person/ Firm, owner/ institution who has given the application	Date and number of certificate	Restrictions, terms and conditions under which the certificate has been issued	Date of cancellation and brief reasons there for
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)”

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Joint Secretary.

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2015

शुद्धिपत्र

क्रमांक/एफ-19-45/25-3/2012.—छत्तीसगढ़ राजपत्र क्रमांक 16, दिनांक 18 अप्रैल, 2014 पृष्ठ क्रमांक 598 में यथा प्रकाशित छत्तीसगढ़ हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास नियम, 2014 से संबंधित अधिसूचना क्रमांक/एफ-19-45/25-3/2012, दिनांक 4 मार्च, 2014 के हिन्दी पाठ में नियम 2 के खण्ड (ङ) की तृतीय पंक्ति में "समिति की संरचना और कृत्य राज्य शासन द्वारा अधिसूचित की जायेगी" को "समिति की संरचना और कृत्य परिशिष्ट-दो के अनुसार राज्य शासन द्वारा अधिसूचित की जायेगी" पढ़ा जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. कुंजाम, संयुक्त सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2016

क्रमांक/पंचा-1048/पंग्राविवि/22/2016/43.—छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) की धारा 95 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 70 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2012 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 95 की उप-धारा (3) द्वारा अपेक्षित किये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 3 के बिन्दु (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"(घ)	सहायक शिक्षक (पंचायत) ग्रंथपाल	18 वर्ष	35 वर्ष	न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से पुस्तकालय विज्ञान का प्रमाण पत्र.	—तदैव—"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2016

क्रमांक/पंचा-1048/पंग्राविवि/22/2016/44.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक/पंचा-1048/पंग्राविवि/22/2016/43, दिनांक 18-01-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 18th January 2016

No./P.-1048/PGVV/22/2016/43.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with sub-section (1) of Section 70 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Teacher (Panchayat) Cadre (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2012, the same having been previously published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Adhiniyam, namely :—

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,—

After Point (c) of Serial number 3 of Schedule-II, the following shall be added, namely :—

"(d)	Assistant Teacher (Panchayat) Librarian	18 years	35 years	Higher Secondary Certificate Examination with minimum of 50% marks and a certificate of Library Science from any recognized Institute.	—do—"

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
YACUB XESS, Deputy Secretary.

पर्यटन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2016

क्रमांक एफ 1-2/2016/33/पर्य.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री केदार गुप्ता, गोल बाजार, नयापारा, रायपुर (छ.ग.) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश तक छ.ग. पर्यटन मंडल के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एन. अवस्थी, अवर सचिव.

संस्कृति विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2016

क्रमांक एफ 1-4/2016/30/सं.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री विनय कुमार पाठक बिलासपुर (छ.ग.) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एन. अवस्थी, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 8 जनवरी 2016

क्रमांक 01/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रा	दमदम प.ह.नं. 07	0.619	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग मरवाही, जि. बिलासपुर (छ.ग.)	गोढ़ा जलाशय नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 जनवरी 2016

क्रमांक 06/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	नेवसा प.ह.नं. 13	4.816	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग मरवाही, मु. पेण्ड्रारोड जि. बिलासपुर (छ.ग.)	लहरानाला जलाशय के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 जनवरी 2016

क्रमांक 07/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	गुल्लीडांड़ प.ह.नं. 9	1.154	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग मरवाही, जि. बिलासपुर (छ.ग.)	लिटियासरई जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	रेड़े प.ह.नं. 26	1.277	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	लोकेर जलाशय योजना के दायीं तट रेडे नहर का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	तमता प.ह.नं. 15	2.725	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	खरकट्टा जलाशय की बायीं तट मुख्य नहर का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2014-15 (22/अ-82/2010-11).—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	चन्दागढ़ प.ह.नं. 14	0.181	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	खरकट्टा जलाशय की दायीं तट मुख्य नहर का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2014-15 (23/अ-82/2010-11).—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	खरकट्टा प.ह.नं. 14	4.140	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	खरकट्टा जलाशय योजना के डूबान एवं दायीं, बायीं मुख्य नहर का पूरक भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	बालाझार प.ह.नं. 15	2.145	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	तमता जलाशय के डूबान का पूरक भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	बालाझर प.ह.नं. 15	2.082	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	बालाझर जलाशय योजना दायीं मुख्य एवं शाखा नहर का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हिमशिखर गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 23 दिसम्बर 2015

क्रमांक/395/भू-अर्जन/प्र.क्र.-01/अ-82 वर्ष 2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	सिमगा	चौरेंगा प.ह.नं. 09	3.144	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा.	चक्रवाही वितरक नहर के चौरेंगा माइनर नहर के निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसवराजु एस., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरिया, दिनांक 31 अक्टूबर 2015

क्रमांक 1714/896/वाचक/भू-अर्जन/2015.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-खड़गवां
- (ग) नगर/ग्राम-मुगुम
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.35 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	605	0.15
	601/1	0.20
योग	2	0.35

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-सत्तीडबरा योजना के बांध निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खड़गवां चिरमिरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 अक्टूबर 2015

क्रमांक 1716/896/वाचक/भू-अर्जन/2015.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-खड़गवां
- (ग) नगर/ग्राम-जिलीबांध, प.ह.नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-24.24 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
181	0.09
182	0.75
183	0.69
184	1.19
186	0.27
188	0.49
191	0.02
192	0.80
195	0.28
198	1.26
204	1.00
205	0.24
206	0.48
209	0.14
252	0.10
233	0.35
253	0.39
254	0.24
255/884	0.85
269	0.37
350	0.30
351	0.33
352	0.20
353	0.38
354	0.05
355	0.21
356	0.22
357	0.17
358	0.17
360	0.38
362	0.38
363	0.30
364	0.11
365	0.64
367	0.38
368/1	0.60
368/2	0.15

(1)	(2)
370	0.15
375	0.14
376	0.41
377/1	0.19
377/2	0.20
377/3	0.19
378	0.44
379	0.26
380	1.82
381	0.39
382	0.08
383	0.13
384	0.19
385	0.11
386	0.14
387	0.22
389	0.56
391	1.28
392	0.12
393	0.62
394	0.52
395	0.49
397	0.14
398	0.20
415	0.29
417	0.07
योग 63	24.24

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-अंजनी जलाशय योजना के बांध निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खड़गवां चिरमिरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 अक्टूबर 2015

क्रमांक 1718/896/वाचक/भू-अर्जन/2015.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-खड़गवां
- (ग) नगर/ग्राम-कदमबहरा, प.ह.नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-47.27 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2	0.71
42	0.37
10	0.24
400	0.12
15	0.30
125	0.30
148	0.13
30	0.48
16	0.27
35	0.17
48	0.04
17	0.28
34	0.21
20/1	0.21
22	0.04
23	0.44
311	0.40
52	0.74
105	0.61
275	1.57
53	1.09
67	0.14
124	0.60
55	1.75
417	0.48
57	0.17
60	0.12
260	0.37
401	1.81
58	0.41
77	0.69
78	0.31
62	0.54
63	0.28
64	0.79
104	0.03
299	0.22

(1)	(2)
310	0.40
71	0.62
291	0.64
74	0.08
142	0.42
81	0.15
83	0.07
110	0.05
134	0.04
139	0.09
136	0.64
90	0.21
95	0.58
100	1.72
103/1	1.21
103/2	0.44
103/3	0.38
107	0.20
115	1.24
402	0.93
116	0.08
243	0.31
303	0.17
128	0.02
235	0.37
236	0.20
237	0.46
314	0.70
239	0.26
240	0.28
241	0.13
242	0.14
419	0.20
248	0.04
247	0.10
254	0.17
256	0.20
273	0.16
293	0.62
426	0.61
274	0.19
278	0.53
281	0.24
280	0.06
287	0.98
298	0.06
399	0.21
308	1.50
315	1.00
316/1	0.20
316/2	1.23
332	0.31
333	2.00
406	0.38
424	0.31
416	1.14
422	0.53
425	0.17
423	0.20
20/2	0.32
20/3	0.24
289	0.71
योग 99	47.27

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-अंजनी जलाशय योजना के बांध निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खड़गवां चिरमिरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 अक्टूबर 2015

क्रमांक 1720/896/वाचक/भू-अर्जन/2015.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरिया

(ख) तहसील-खड़गवां

(ग) नगर/ग्राम-कन्हारबहरा, प.ह.नं. 19

(घ) लगभग क्षेत्रफल-10.31 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
223/1	0.13

	(1)	(2)
	223/2	0.20
	223/3	0.30
	223/4	0.18
	225/1	0.07
	585/1	0.07
	596/2	0.13
	225/2	0.39
	585/2	0.10
	596/3	0.30
	225/3	0.05
	594	0.24
	595	0.26
	596/1	0.14
	585/3	0.05
	226	0.10
	228	2.30
	229	1.67
	547	0.56
	549	0.59
	582	0.30
	583/1	0.16
	591	0.17
	583/2	0.40
	584	0.20
	586	0.20
	587	0.27
	588	0.06
	589	0.64
	593	0.08
योग	30	10.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-अंजनी जलाशय योजना के बांध निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खड़गवां चिरमिरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 अक्टूबर 2015

क्रमांक 1722/896/वाचक/भू-अर्जन/2015.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरिया

(ख) तहसील-खड़गवां

(ग) नगर/ग्राम-तामडांड़, प.ह.नं. 07

(घ) लगभग क्षेत्रफल-14.37 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1128	0.15
1129	0.17
1130	0.12
1131	0.17
1140	0.10
1147	1.37
1148	0.70
1149	0.36
1143	0.20
1144	1.80
1146	0.32
1151/1	0.28
1155/2	0.20
1156	0.04
1151/2	0.28
946	0.02
945	0.04
1202	0.17
1199	0.03
1204	0.01
572/4	0.03
1201/1	0.08
653	0.02
606	0.06
610/2	0.03
620	0.05
1271	0.03
1273	0.02
1280	0.07
1278	0.03
1281	0.03
1259	0.02
1262	0.02
1271	0.05
1218	0.04
1260	0.09
1263	0.13

(1)	(2)
1223/1	0.05
1239/1	0.05
1238	0.02
1241	0.09
1243	0.05
1245	0.04
698	0.09
697	0.06
695	0.05
694/3	0.08
571/3	0.06
684/1	0.03
568/1	0.04
572/1	0.03
624/1	0.02
684/2	0.02
568/3	0.04
572/2	0.03
624/2	0.02
684/3	0.03
568/2	0.04
572/3	0.03
624/3	0.02
684/5	0.03
572/5	0.03
685	0.05
567	0.02
569	0.05
570	0.03
656	0.02
571/1	0.07
573/1	0.03
573/2	0.04
678	0.05
611	0.12
677/2	0.05
677/3	0.06
658	0.08
655	0.03
654	0.02
621	0.03
625/1	0.02
क.न. 643	0.86
क.न. 643	1.82
क.न. 643	0.86
क.न. 643	0.66
क.न. 643	1.01
योग 84	14.37

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-अंजनी जलाशय योजना के बांध निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खड़गवां चिरमिरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 अक्टूबर 2015

क्रमांक 1724/896/वाचक/भू-अर्जन/2015.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-खड़गवां
- (ग) नगर/ग्राम-रतनपुर, प.ह.नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-14.37 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
526	0.17
530	0.08
509	0.04
86	0.10
510	0.02
511	0.15
577	0.06
468	0.04
478	0.05
469	0.02
501	0.01
341	0.09

(1)	(2)
342/2	0.02
19/5	0.21
347/10	0.09
19/2	0.04
293/2	0.02
347/11	0.09
350	0.08
370	0.38
372	0.01
367	0.11
366	0.03
365	0.09
327	0.03
328	0.03
329	0.08
306	0.15
307	0.01
308	0.04
304	0.09
281	0.08
244	0.05
242	0.04
245	0.06
236	0.10
235	0.08
24/1	0.18
223/1	0.05
24/2	0.19
223/2	0.06
650/1	0.16
659	0.08
660/2	0.24
221	0.12
722	0.03
723	0.03
725	0.03
770	0.02
727	0.09
728	0.05
766	0.04
765/1	0.27
764/1	0.08
782/1	0.16
783	0.08
760	0.04
785	0.07
807	0.05
805	0.14
806	0.14
798	0.17
795	0.08
371	0.04
377	0.11
775	0.05
402	0.05
403	0.01
419	0.11
420	0.12
87	0.11
90/2	0.08
310	0.15
311	0.05
318	0.08
19/4	0.24
19/3	0.16
90/1	0.09
योग 78	6.83

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-अंजनी जलाशय योजना के बांध निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खड़गवां चिरमिरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 अक्टूबर 2015

क्रमांक 1726/896/वाचक/भू-अर्जन/2015.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-खड़गवां
- (ग) नगर/ग्राम-जिल्दा, प.ह.नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-50.59 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
788	0.51
812	0.02
814	1.60
877	0.28
882	0.37
815	0.27
885	0.71
888	0.16
890	0.91
886	0.17
889	0.34
935	0.52
978	0.28
992	0.07
996	0.26
896	1.39
910	0.80
919	0.85
930	0.76
1060	1.06
931	0.80
952	0.37
1001	0.18
932	2.23
934	0.37
933	0.25
944	0.47
936	0.50
937	0.87
938	0.60
939	0.50
943	0.85
946	0.31
949	0.52
817	0.17
818	0.04
819	0.13
834	0.80
836	0.10
837	0.06
887	0.66
953	0.35
962/1	0.12
971/1	0.28
962/2	0.13
(1)	(2)
971/2	0.28
963	0.50
979	0.56
1021	0.38
965	0.11
1066/1	0.45
967	0.15
968	0.18
901	0.37
973	0.68
1062	0.85
1075	0.49
1076	0.25
976/1	0.27
976/2	0.26
977	0.50
985	0.42
988	0.38
1057/2	1.20
1057/3	0.48
1068/3	0.24
1074/2	0.40
989	0.52
1061	0.31
1068/2	0.12
1074/1	0.47
995	0.46
1072	0.60
1006	0.24
888	0.32
1007	0.26
1056	0.50
1057/1	1.00
1068/1	0.12
1078	0.30
1058	0.62
1059	0.40
1066/2	0.37
1067	0.45
1069	0.60
1070	0.28
1085	1.31
1094	0.25
1115	0.83
599	0.02
1121	0.26
807	0.20

	(1)	(2)
	838	0.98
	839	0.29
	858	1.18
	902	0.53
	821	0.27
	835/2	0.20
	835/4	0.25
	835/1	0.67
	835/3	0.20
	835/5	0.45
	835/6	0.27
	835/7	0.20
	840	0.35
	841	0.73
	900	0.45
	766	0.11
	744	0.12
	769/1	0.04
	769/2	0.04
	742/1	0.04
	769/4	0.04
	742/2	0.07
	737	0.13
	738	0.14
योग	116	50.59

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-हुड़िका जलाशय योजना के बांध निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खड़गवां चिरमिरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 अक्टूबर 2015

क्रमांक 1728/896/वाचक/भू-अर्जन/2015.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-खड़गवां
- (ग) नगर/ग्राम-कोटेया, प.ह.नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.80 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
43	0.04
55	0.05
377	0.02
44	0.08
51	0.12
156	0.15
50	0.09
56	0.02
57	0.13
361	0.02
54	0.08
135/2	0.05
159	0.07
146	0.02
153	0.09
154	0.03
152/1	0.05
157	0.11
58	0.13
161	0.03
163	0.02
171	0.11
170	0.13
189	0.08
187	0.04
375	0.09
457	0.12
354/5	0.11
376/1	0.07
378	0.04
186	0.02
188	0.09
184	0.04
क.क्र. 145	0.30
क.क्र. 145	0.08

	(1)	(2)
	क.क्र. 145	0.08
योग	36	2.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-हुड़िका जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खड़गवां चिरमिरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 अक्टूबर 2015

क्रमांक 1730/896/वाचक/भू-अर्जन/2015.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-खड़गवां
- (ग) नगर/ग्राम-चोपन, प.ह.नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.62 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	9	0.26
	21/2	0.16
	31	0.06
	32	0.07
	33	0.07
योग	5	0.62

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-हुड़िका जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खड़गवां चिरमिरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 अक्टूबर 2015

क्रमांक 1732/896/वाचक/भू-अर्जन/2015.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-खड़गवां
- (ग) नगर/ग्राम-गणेशपुर, प.ह.नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.23 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
29	0.02
61	0.04
246	0.06
447	0.12
248	0.01
138	0.03
134	0.23
133	0.20
249	0.06
141	0.20
143	0.20
287	0.04
452	1.05
469	0.06
466	0.55
470	0.20
158	0.07
155/2	0.18
157/2	0.07
157/1	0.11
269	0.09
425	0.06
278	0.20
284	0.18

(1)	(2)
285	0.20
योग 25	4.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-खैराखाडी व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खड़गवां चिरमिरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 अक्टूबर 2015

क्रमांक 1734/896/वाचक/भू-अर्जन/2015.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-खड़गवां
- (ग) नगर/ग्राम-दुबछोला, प.ह.नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-21.728 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
103	0.040
104	0.534
586/10	0.073
851	1.274
86/2	0.445
87	0.162
102/2	0.243
102/4	0.607
102/7क	0.020
106/2	0.145
82/2	0.061
78	0.041
80	0.012
81	0.235
85/2	0.405
85/4	0.182
88	0.627
92/2	0.283
70/4	0.020
67/2	0.008
146	0.162
155/1	0.041
50/1	0.506
53	0.255
55	0.388
97/1	0.219
97/2	0.263
85/3	0.486
84	0.304
39	0.729
52	0.226
63	0.198
99	0.502
36/3	0.506
50/2	0.142
83	0.113
40/3	0.470
66/1	0.570
40/2	1.052
41/2	0.101
41/3	0.324
56	0.571
58	0.393
60	1.113
61	0.170
62	0.210
38/2	0.223
64/1	1.700
57	1.084
64/2	0.910
65	0.322
59/2	1.420
66/2	0.538
योग 53	21.728

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-साजाखांड जलाशय योजना के बांध निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खड़गवां चिरमिरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 अक्टूबर 2015

क्रमांक 1736/896/वाचक/भू-अर्जन/2015.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-खड़गवां
- (ग) नगर/ग्राम-भुकभुकी, प.ह.नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-15.539 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
41/1	0.316
41/2	0.263
42	0.579
46	0.563
50	0.474
51	0.223
52	0.368
53	4.108
45	0.586
47	0.506
48	0.934
54/1ख	0.251
60/1	0.032
58/1	0.445
59/1	0.053
56/1	0.585
54/2	0.251
54/1क	2.452
55/2	1.165
49	1.019
57	0.369
योग 21	15.539

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-साजाखांड जलाशय योजना के बांध निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खड़गवां चिरमिरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. प्रकाश, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बेमेतरा, दिनांक 30 दिसम्बर 2015

क्रमांक/02/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-बेरला
- (ग) नगर/ग्राम-खुडमुड़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.390 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
897	0.080
898	0.040
894/1	0.160
895	0.010
896	0.080

	(1)	(2)
	878	0.020
योग	6	0.390

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुरेठी-खुडमुड़ी मार्ग पर खारून नदी पर पुल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 1 जनवरी 2016

क्रमांक/01/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-बेरला
- (ग) नगर/ग्राम-करामाल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.17 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	484	0.03
	489	0.06
	544	0.08
योग	3	0.17

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रायपुर, उरला, पठारीडीह, बेरला, कोदवा मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयीकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 1 जनवरी 2016

क्रमांक/03/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-धनगांव, प.ह.नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.06 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	92/1	0.01
	93	0.05
योग		0.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धनगांव जलाशय नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 1 जनवरी 2016

क्रमांक/14/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-बेमेतरा
  (ख) तहसील-बेमेतरा
  (ग) नगर/ग्राम-सिरवाबांधा, प.ह.नं. 26
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.09 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/2	0.14
21/1	0.36
1/3	0.20
21/2	0.39
योग	1.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिरवाबांधा जलाशय हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 8 जनवरी 2016

क्रमांक/04/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-बेमेतरा
  (ख) तहसील-बेमेतरा
  (ग) नगर/ग्राम-बहेरा, प.ह.नं. 25
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.99 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
539/1	0.10
540/1	0.30
540/4	0.29
545	0.36
568	0.13
539/2	0.09
540/2	0.30
540/3	0.30
567	0.12
योग	1.99

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिरवाबांधा जलाशय हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 8 जनवरी 2016

क्रमांक/06/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-बेमेतरा
  (ख) तहसील-बेमेतरा
  (ग) नगर/ग्राम-चारभाटा, प.ह.नं. 24
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.23 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
989/2	0.23
योग	0.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुड़पार जलाशय के डूबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 8 जनवरी 2016

क्रमांक/11/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-ठेंगाभाट, प.ह.नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.15 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
468	0.29
476	0.13
479	0.07
515	0.10
520	0.14
475	0.13
478	0.10
526	0.03
516	0.16
योग	1.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हेम्प व्यपवर्तन दायीं तट नहर के अंतर्गत बोहारडीह माइनर नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शान्डिल्य, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी)बोर्ड
बीज भवन, जी. ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2015

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2015-16/5950.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2012-13/5902 रायपुर, दिनांक 23-12-2013 द्वारा श्री एस. एस. चौहान, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी गरियाबंद को कृषि उपज मंडी समिति गरियाबंद जिला-गरियाबंद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला-गरियाबंद का ज्ञापन क्रमांक/स्था./116 दिनांक 02-12-2015 द्वारा श्री व्ही. एन. भानु. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी गरियाबंद को कृषि उपज मंडी समिति गरियाबंद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा श्री एस. एस. चौहान, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी गरियाबंद के स्थान पर श्री व्ही. एन. भानु, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी गरियाबंद को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति गरियाबंद जिला-गरियाबंद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2015

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2015-16/6079.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2013-14/63 रायपुर, दिनांक 02-04-2013 द्वारा श्री जे. आर. भगत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सूरजपुर को कृषि उपज मण्डी समिति सूरजपुर जिला-सूरजपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला-सूरजपुर का पत्र क्रमांक 9301/2015/व.लि./2015 दिनांक 10-12-2015 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति सूरजपुर में श्री के.पी. साय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सूरजपुर को भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा श्री जे. आर. भगत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सूरजपुर के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री के. पी. साय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सूरजपुर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति सूरजपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2015

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2015-16/5743.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2014-15/41-42 रायपुर, दिनांक 04-04-2015 द्वारा श्री नीलकंठ टेकाम के लंबी अवधि के लिये चिकित्सा अवकाश पर जाने से कलेक्टर बिलासपुर के प्रस्ताव अनुसार श्री निर्मल तिग्गा अपर कलेक्टर, बिलासपुर को कृषि उपज मण्डी समिति बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा श्री निर्मल तिग्गा अपर कलेक्टर, बिलासपुर का स्थानांतरण हो जाने तथा श्री नीलकंठ टेकाम के चिकित्सा अवकाश से वापिस कार्य पर उपस्थित होने से श्री नीलकंठ टेकाम, अपर कलेक्टर बिलासपुर, को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

नरेन्द्र शुक्ल,
प्रबंध संचालक.

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक 2 दिसम्बर 2015

क्रमांक/14606/न.ग्रा.नि./वि.यो. धमधा/15.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट धमधा निवेश क्षेत्र की भूमि का वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र अनुसार सम्यक रूप से अंगीकृत किये जाते हैं, इस सूचना की प्रतिलिपि अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि मानचित्र सम्यक रूप से तैयार कर अंगीकृत कर लिया गया है :—

अनुसूची

धमधा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम बरहापुर, बिरझापुर, डंगनिया, सिरनाभठा एवं मोतीमपुर ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम मोतीमपुर, तितुरघाट एवं सोनेसरार ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम सोनेसरार, कुम्हारडीह, बसनी, पडोरा, धमधा-कला एवं परसबोड़ ग्रामों की दक्षिण सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम परसबोड़, बरहापुर एवं बिरझापुर ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, दुर्ग.

No. 14606/D.P. Dhamdha/2015.—Notice is hereby given for the general information of the public that of existing land use map & register of Dhamdha Planning Area so prepared under published are duly adopted by the Director, Town & Country Planning, under the provision of sub-section (3) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the notice is also sent for its publication in Chhattisgarh Gazette, under the provision of sub-section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps & register have been duly prepared and adopted on publication of the notice in Chhattisgarh Gazette :—

SCHEDULE

Limit of the Dhamdha Planing Area

NORTH : Village Barhapur, Birjhapur, Danganiya, Sirnabhatha and up to the Northern limit of Motimpur.
EAST : Village Motimpur, Tituhghat and up to the Eastern Limit of Senesarar.
SOUTH : Village Sonesarar, Kumhardih, Basani, Padora, Dhamdhakala and up to Southern limit of Parasbod.
WEST : Village Parasbod, Barhapur and up to the Western limit Birjhapur.

The said adopted map & register shall be available for inspection of general public at following place during office hours for the period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Place of Inspection : Office of the Joint Director, Town & Counry Planning, Durg.

जाहिद अली,
संयुक्त संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 4th December 2015

No. 1060/Confdl./2015/II-3-2/2002 (Part-II).—The following probationary Civil Judges Class-II of Lower Judicial Service as specified in Column No. (2) of the table below, are, hereby, confirmed in Lower Judicial Service from the date mentioned in Column No. (3) :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Date of Confirmation (3)
1.	Shri Amit Jindal	01-03-2015
2.	Ku. Parul Shrivastava	01-03-2015
3.	Shri Sarv Vijay Agrawal	01-03-2015
4.	Shri Vivek Garg	01-03-2015
5.	Shri Tajuddin Asif	01-03-2015
6.	Smt. Ganga Patel	01-03-2015
7.	Smt. Ekta Agrawal	01-03-2015
8.	Shri Dular Singh	01-03-2015
9.	Shri Harendra Singh Nag	01-03-2015
10.	Shri Harish Chandra Mishra	01-03-2015
11.	Smt. Shweta Shrivastava	01-03-2015
12.	Ku. Shruti Shukla	01-03-2015
13.	Ku. Sweta	01-03-2015
14.	Shri Om Prakash Sahu	01-03-2015
15.	Shri Umesh Kumar Upadhyay	16-05-2015
16.	Shri Gitesh Kumar Kaushik	16-05-2015
17.	Smt. Seema Chandrakar	16-05-2015
18.	Shri Devendra Sahu	11-10-2015

Bilaspur, the 4th December 2015

No. 1061/Confdl./2015/II-3-2/2002 (Part-II).—The following probationary Civil Judges Class-II of Lower Judicial Service, are hereby, issued certificate of confirmation in terms of sub-rule (5) of Rule 11 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment & Conditions of Service) Rules, 2006 :—

S. No. (1)	Name of Officer (2)
1.	Shri Diamond Kumar Gilhare
2.	Shri Dheerendra Pratap Singh Dangi
3.	Shri Sameer Kujur
4.	Shri Janak Kumar Hidko
5.	Shri Janardan Khare
6.	Shri Gerjesh Pratap Singh
7.	Smt. Priyanka Agrawal
8.	Shri Hemant Kumar Ratre
9.	Smt. Archana Bhaskar
10.	Smt. Reshma Kujur
11.	Shri Pawan Kumar Agrawal
12.	Shri Pankaj Dixit

Bilaspur, the 11th December 2015

No. 1078/Confdl./2015/II-1-1/2009.—It is hereby notified that pursuant to Notification No. K. 13016/02/2015-US.II (ii) dated 7th December, 2015 of the Government of India, Ministry of Law and Justice (Department of Justice) New Delhi, Hon;ble Shri Justice Manindra Mohan Shrivastava has assumed charge of the office of the Additional Jude of High court of Chhattisgarh on 10th December, 2015 in the forenoon.

Bilaspur, the 14th December 2015

No. 9880/III-6-2/2007.—In exercise of the powers Conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh hereby specially empowers the following Judicial Magistrates First Class to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section :—

Sl. No. (1)	Name of the Judicial Magistrate First Class (2)	Present place of posting (3)	Civil District (4)
1.	Shri Dheerendra Pratap Singh Dangi, J.M.F.C., Sitapur.	Sitapur	Surguja at Ambikapur
2.	Ku. Akanksha Bhardwaj, J.M.F.C., Ambikapur	Ambikapur	Surguja at Ambikapur
3.	Shri Rosemin Rajesh Xaxa, J.M.F.C., Ambikapur	Ambikapur	Surguja at Ambikapur
4.	Shri Bhupat Singh Sahu, J.M.F.C., Ambikapur	Ambikapur	Surguja at Ambikapur
5.	Shri Roopnarayan Pathare, J.M.F.C., Wadrafnagar	Wadrafnagar	Surguja at Ambikapur
6.	Shri Anand Borkar, J.M.F.C., Durg	Durg	Durg
7.	Shri Sheelu Singh, J.M.F.C., Durg	Durg	Durg
8.	Shri Vyankatesh Singh, J.M.F.C., Durg	Durg	Durg
9.	Shri Girish Kumar Mandavi, J.M.F.C., Durg	Durg	Durg
10.	Shri Sumit Kumar Harsyana, J.M.F.C., Durg	Durg	Durg

(1)	(2)	(3)	(4)
11.	Shri Sameer Kujur, J.M.F.C., Durg	Durg	Durg
12.	Smt. Reshma Kujur, J.M.F.C., Durg	Durg	Durg
13.	Ku. Namita Anne Minj, J.M.F.C., Durg	Durg	Durg
14.	Shri Brijesh Rai, J.M.F.C., Durg	Durg	Durg

Bilaspur, the 16th December 2015

No. 1159/Confdl./2015/II-1-1/2013.—It is hereby notified that pursuant to Notification No. K. 13016/02/2015-US.II (i) dated 7th December, 2015 of the Government of India, Ministry of Law and Justice (Department of Justice), New Delhi, Hon;ble Shri Justice Gautam Bhaduri, Hon'ble Shri Justice Sanjay Kumar Agrawal and Hon'ble Shri Justice Puthichira Sam Koshy have assumed charge of the office of the Additional Judge of High Court of Chhattisgarh on 16th December, 2015 in the forenoon.

Bilaspur, the 23rd December 2015

No. 10207/II-6-5/2012.—Hin'ble the High Court has been pleased to give additional charge of cases under the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (POCSO Act) and cases relating to crime against women falling withing the jurisdiction of Additional District & Sessions Judge (F.T.C.) Koriya (Baikunthpur) to the District & Sessions Judge, Koriya (Baikunthpur) till the next Annual General Transfers.

By order of Hon'ble the High Court,
ARVIND SINGH CHANDEL, Registrar General.

Bilaspur, the 28th December 2015

No. 743/L.G./2015/II-2-2/2009.—Shri P. K. Dave Principal Judge, Family Court, Raipur is hereby, granted earned leave for 15 days from 16-11-2015 to 30-11-2015 along with permission to leave headquarters from 14-11-2015 to 30-11-2015.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Dave, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 265 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 28th December 2015

No. 745/L.G./2015/II-02-04/2014.—Shri Sanjay Kumar Jaiswal, District & Sessions Judge, Balod is hereby, granted earned leave for 09 days from 10-11-2015 to 18-11-2015.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Jaiswal, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 297 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 28th December 2015

No. 748/L.G./2015/II-2-05/2006.—Shri Ravishankar Sharma, Registrar (I & E) and I/c S & A Cell, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 01 days on 08-10-2015 along with permission to leave headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sharma, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 276 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 28th December 2015

No. 749/L.G./2015/II-02-07/2013.—Shri Satish Kumar Singh, District & Sessions Judge, Bastar (Jagdalpur) is hereby, granted earned leave for 13 days from 23-11-2015 to 05-12-2015 along with permission to leave headquarters from the morning of 21-11-2015 till the evening of 06-12-2015.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Singh, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 272 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 28th December 2015

No. 750/L.G./2015/II-3-26/2004.—Shri Narendra Singh Chawla, District & Sessions Judge, Uttar Bastar (Kanker) is hereby earned leave for 06 days from 30-11-2015 to 05-12-2015 along with permission to leave headquarters from 29-11-2015 to 06-12-2015.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Chawla, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 279 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 28th December 2015

No. 751/L.G./2015/II-2-15/2007.—Smt. Vimla Singh Kapoor, District & Sessions Judge, Kabirdham (Kawardha) is hereby, granted earned leave for 05 days from 09-11-2015 to 13-11-2015 along with permission to leave headquarters after the working hours of 07-11-2015 till before the working hours of 16-11-2015.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Kapoor, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+10 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

By order of the High Court,
MANSOOR AHMED, Additional Registrar (ADMN.).

बिलासपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2015

क्रमांक/227/दो-2-21/2002.—श्री महादेव कातुलकर, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, धमतरी को उनके आवेदन पत्र दिनांक 05-11-2015 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2013 से 31-10-2015 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2015

क्रमांक/235/दो-2-20/2006.—श्री आनन्द कुमार बेक, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा वर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द को उनके आवेदन पत्र दिनांक 07-11-2015 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2013 से 31-10-2015 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2015

क्रमांक/236/दो-3-65/2007.—श्री जगदम्बा राय, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 18-11-2015 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2013 से 31-10-2015 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2015

क्रमांक/237/दो-3-18/2007.—श्री डॉक्टर लाल कटकवार, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मनेन्द्रगढ़ को उनके आवेदन पत्र दिनांक 05-11-2015 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2013 से 31-10-2015 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2015

क्रमांक/238/दो-2-11/2007.—श्री मकरध्वज जगदल्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी को उनके आवेदन पत्र दिनांक 02-11-2015 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2013 से 31-10-2015 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2015

क्रमांक/239/दो-3-43/2007.—श्री राजेन्द्र प्रधान, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जगदलपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 19-11-2015 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2013 से 31-10-2015 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2015

क्रमांक/240/दो-2-20/2007.—श्रीमती कान्ता मार्टिन, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, उत्तर बस्तर कांकेर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 13-11-2015 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2013 से 31-10-2015 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2015

क्रमांक/241/दो-2-21/2015.—श्री नरेन्द्र सिंह चावला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 07-11-2015 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2013 से 31-10-2015 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2015

क्रमांक/242/दो-3-35/2011.—श्री अब्दुल जाहिद कुरैशी, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), रायपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 09-11-2015 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2013 से 31-10-2015 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.